

(3)

190
124



स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अप्रैल 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Devi".

१२५

स्वामी विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना

विषय सूची

- १— प्रस्तावना
- २— उद्देश्य
- ३— योजना को कार्य क्षेत्र
- ४— योजना के लाभार्थी
- ५— वित्तीय व्यवस्था
- ६— योजना के प्रतिबंधित कार्य
- ७— प्रशासकीय स्वीकृति
- ८— मुख्य भूमिकाएं
- ९— कार्य योजना एवं कियान्वयन प्रक्रिया
- १०— योजनांतर्गत संचालित कार्यक्रम
- ११— भौतिक / वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
- १२— अंकेक्षण एवं पर्यवेक्षण
- १३— पंजीयन प्रपत्र
- १४— त्रैमासिक प्रतिवेदन
- १५— बजट

102

106

109
110

प्रस्तावना।

यह शक्ति राष्ट्र के विकास के लिये एक महत्वपूर्व पूजी है। राष्ट्र का विकास युवाओं के ह्रास विकास में दिय जाने वाले योगदान पर निर्भर है। युवाओं को नेतृत्व अन्वया में युवाओं के अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। हमारा देश का यह दर्शन है। देश की बहुतायत आबादी गांवों में निवास करती है। युवा युवाओं विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। योजनाओं की जानकारी के लिये युवाओं युवा योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। गांव के इच्छुक युवाओं की पहचान कर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उनका सक्रिय सहयोग लिया जा सकता है। ग्रामीण समुदायों की स्थिति एवं आवश्यकताओं से संबंधित विषयों पर ध्यान केन्द्रित कर युवाओं में अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास किया जा सकता है। स्वच्छ तथा धर्मनिरपेक्ष बातों को अपनाने और कौशल विकास को प्रोत्साहित करणा समूहों का विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संगठित किये जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण युवाओं को सामाजिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा विकास व जगीर्णी स्तर पर गवर्नेन्स प्रक्रिया तथा आर्थिक विकास गतिविधियों में प्रभावी रूप से मार्ग लेने में सहायक बनाया जा सकता है।

राज्य में समावेशी विकास के लिये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और ज्यादा सुदृढ़ बनाना होगा। इसके लिये युवाओं में कौशल क्षमता को विकसित करना होगा। आधुनिक संचार सुविधाओं की पहुँच गांव तक होने के कारण गांव के युवाओं को विश्व में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी है, जिससे उनकी आकंक्षायें भी बढ़ी हैं। आज के युवक राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिये तत्पर है। युवाओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करने की महती आवश्यकता है, जिससे उनके नेतृत्व क्षमता को निखारा जा सके। युवाओं को बेहतर आजीविका के अवसर मिल सके, इसके लिये एसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें नई—नई जानकारी मिल सके।

Ramamurti

104
179

ग्रामीण युवाओं को राज्य के साथ धर्म, संस्कृति
के वैज्ञानिक मूल्यों को समझने की ज़रूरत है। युवाओं के बीच एकता की भावना
एकदिवाल कर राज्य व देश का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।

संक्षेप

1. प्रदेश के ग्रामीण युवाओं में सरकारी एवं सृजनात्मक सोच का विकास करना।
2. प्रदेश के ग्रामीण युवाओं में नेतृत्व, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना।
3. प्रदेश के ग्रामीण युवाओं में सामाजिक सरोकार की भावना विकसित करना एवं सामाजिक विकास में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहन करना।
4. प्रदेश के ग्रामीण युवाओं में आपसी मेल-जोल को बढ़ावा देना एवं समाज में रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करने हेतु उनकी नेतृत्व एवं संगठनात्मक क्षमताओं का विकास करना।
5. पर्यावरण संरक्षण, मानव विकास, सामूदायिक संपदाओं के संरक्षण, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रदेश के ग्रामीण युवाओं की स्वयंसेवी सहभागिता को प्रोत्साहन करना।
6. परम्परागत सांस्कृतिक विधाओं, ग्रामीण खेल, कूद, ऐतिहासिक धरोहरों एवं देशज ज्ञान का संरक्षण आदि में ग्रामीण युवाओं की भूमिका को अभिप्रेरित करना।

3. योजना का कार्य क्षेत्र :—

योजना को कार्य क्षेत्र प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्र होगा।

4. योजना के लाभार्थी :—

15 से 35 वर्ष के प्रदेश के ग्रामीण युवा।

5. वित्तीय व्यवस्था :—

योजना के संचालन के लिये राज्य शासन द्वारा राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 10.00 करोड रुपये प्रदाय किया जायेगा।

(R)

योजना के प्रतिविधि कार्य :—

- युवाओं के सामाजिक गतिविधियों जिनसे समृद्धाओं/समूहों/व्यक्तियों में वैभव वा विद्याद प्राप्त सकता हो।
- किसी भी व्यक्ति वा सम्प्रथा को नाजायज लाभ प्रदान करने वाले कार्यक्रम।

7. प्रशासकीय स्वीकृति :

प्रशासकीय कार्यक्रमों/कार्ययोजना का अनुमोदन जनपद पंचायत की सम्पादन सम्मिलित जिन व्यायेगों। तदोपरात प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अधिकारी पंचायत द्वारा दी जायेगी।

8. मुख्य भूमिकाएँ :—

1. ग्राम पंचायत :—

- युवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर मठित/पंजीकृत युवा मंडलों के युवाओं को शामिल करना।
- नये युवाओं को युवा प्रोत्साहन योजना के लिये जोड़ा जायेगा।
- ग्राम पंचायत स्तर पर सामान्य प्रशासन समिति द्वारा युवा गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत :—

- योजना के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा।
- योजनाओं के लिये आर्थिक अनुदान/आबंटन जनपद पंचायत को जिला पंचायत के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
- जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन से अनुदान राशि का उपयोग सुनिश्चित करना।
- योजना के क्रियान्वयन के लिये नेहरू युवा केन्द्र के NYC (नेशनल युथ कॉर्प) का सहयोग लेंगे, जिनके माध्यम से युवाओं को

16
160

विस्तारित किया जायेगा।

- * योजना के कियान्वयन के लिये नेहरू युवा केन्द्र के पास उपलब्ध खुट्टा का उपयोग किया जायेगा।
- * योजना की समुचित निगरानी करना।

3. कियान्वयन समिति :-

युवा गतिविधियों को प्रोत्ताहित एवं कियान्वित करने के लिये जनपद पंचायत स्तर पर निम्नानुसार कियान्वयन समिति गठित की जायेगी :-

#	पदाधिकारियों के पदनाम	पद स्थिति
1	जनपद पंचायत का अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	सदस्य सचिव
3	नेहरू युवा केन्द्र के NYC (नेशनल युथ कॉप)	संयोजक/सह संयोजक
4	एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी (1-2)	सदस्य
5	वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी	सदस्य
6	परियोजना अधिकारी (आईसीडीएस)	सदस्य
7	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा नामांकित खण्ड स्तर का कोई अधिकारी	सदस्य
8	विकासखण्ड शिक्षाधिकारी	सदस्य
9	खंड चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
10	अनुविभागीय अधिकारी (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)	सदस्य

4. जनपद पंचायत स्तर पर मॉनिटरिंग एवं निगरानी :-

- * जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति द्वारा योजना का सतत मॉनिटरिंग किया जायेगा तथा कार्यक्रम पर निगरानी रखा जायेगा।

10
16

- * अधिकारी योजना की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा प्रत्येक 06 माह में योजना की समीक्षा की जायेगी।

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत :-

- * जिले की योजना की समुचित निगरानी करना।
- * इनपर पवारत को अग्रिम राशि समय पर उपलब्ध कराना।
- * इनपर पवायत की भूमिका की निगरानी कराना।

7. जिला स्तरीय मार्गदर्शन समिति :-

सं.	पदाधिकारियों के पदनाम	पद स्थिति
1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य सचिव
3	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उपाध्यक्ष
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5	गहाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी)	सदस्य
6	एनएसएस के जिला समन्वयक	सदस्य
7	जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य
8	जिला अंकेक्षक, पंचायत	सदस्य
9	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
10	कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
11	कार्यपालन यंत्री (लोक स्वारथ्य युनिक्री)	सदस्य
12	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र	सदस्य समिति

7. नेहरू युवा केन्द्र :-

- * नेहरू युवा केन्द्र के समन्वयक जिला स्तरीय मार्गदर्शन समिति के सदस्य सचिव होंगे। जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन तथा युवा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन आवश्यक समन्वयन, मॉनिटरिंग, प्रतिवेदन तैयार करवाकर राज्य स्तर भेजे जाने जैसी

Report

BB
182

प्रियोदारी सदरय-सचिव की रहेगी।

- नेहरू युवा केन्द्र के अधीन विकासखण्ड स्तर पर राष्ट्रीय युवा (NYC नाहिनी नेशनल युवा कॉम) इस योजना के जनपद पंचायत स्तरीय युवा प्रोत्साहन केन्द्र के सयोजक/सहसंयोजक होंगे। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशन में जनपद पंचायत स्तरीय कियान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना, कार्यक्रमों के कियान्वयन व संबंधित कार्यालयीन कार्य को करने, युवाओं को जोड़ने, पंजीयन करने आदि कार्यों को संचालित करेंगे, इस हेतु जनपद पंचायत अधीन कर्मियों/पंचायत सचिवों आदि का सहयोग युवा प्रोत्साहन केन्द्र ले सकेगा।

१. कार्य योजना एवं कियान्वयन :—

१. कार्य योजना :—

- वर्ष 2013–14 में योजना के तहत राज्य के 146 विकासखण्डों में युवा प्रोत्साहन योजना को लागू किया जायेगा। जनपद पंचायत स्तर पर कियान्वयन एवं क्य समिति गठित कर योजनानांतर्गत कार्यों का कियान्वयन किया जायेगा। इसके लिए विकासखण्ड स्तर पर युवा प्रोत्साहन केन्द्र भी स्थापित किये जायेंगे। युवा प्रोत्साहन केन्द्र को शासन/पंचायत द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। योजना के सफलतापूर्वक कियान्वयन के लिए नेहरू युवा केन्द्र के NYC (नेशनल युथ कॉम) के माध्यम से विकासखण्डों के युवाओं को चिन्हांकित किया जायेगा। युवाओं को आवश्यकतानुसार योजना के उद्देश्यों के अनुरूप प्रशिक्षण व मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के नेतृत्व क्षमता व कौशल विकास का कार्य किया जा सकेगा। राज्य एवं देश के लिये सशक्त, उर्जावान व धर्मनिरपेक्ष युवा का निर्माण किया जायेगा।

क्रियान्वयन प्रक्रिया

- ग्रामीण क्रियान्वयन के लिए नेहरू युवा केन्द्र के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा पहला युवाओं व अन्य युवाओं को विन्हाँकित किया जायेगा।
- इस प्रभावी तरह तक NYC (नेशनल युथ कॉप) के माध्यम से ग्रामीण क्रियान्वयन किया जायेगा।
- ग्रामीण क्षेत्र के नव युवकों को विन्हाँकित कर योजना के उद्देश्यों को अनुरूप अवसर प्रदान किये जायेंगे।
- योजनातीर्त रामय-समय पर युवाओं की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा।
- जिन विभागों में कौशल क्षमता विकास के कार्यक्रम होते हैं, उनसे रामन्वय कर कार्यशाला एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा।
- योजना के सचालन हेतु प्रति जनपद पंचायत लगभग 6.00 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान देय होगा। अनुदान की राशि से कार्यालय संचालन, स्टेशनरी, फर्नीचर, दूरभाष आदि पर प्रतिवर्ष लगभग 1.00 लाख रुपये का व्यय किया जा सकेगा। शेष राशि रुपये 5.00 लाख योजना में उल्लेखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यक्रम, गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्रचार-प्रसार आदि पर व्यय किया जा सकेगा। तथापि योजना के उद्देश्यों के अनुरूप गतिविधियों के संचालन, प्रशिक्षण हेतु प्रतिमाह अधिकतम रुपये 40,000/- (अक्षरी चालीस हजार रुपये) व्यय किया जा सकेगा। राशि की उपलब्धता की स्थिति में अन्य आवश्यक/विविध व्यय किया जा सकेगा, जो प्रति विकासखण्ड प्रतिवर्ष रुपये 5,000 (अक्षरी रुपये पांच हजार) से अधिक नहीं होगा।

Ram

- * जनपद के लिए वर कार्यों की समीक्षा की जायेगी।
- * जनपद को सुविधापूर्वक तरीके से समुपयोग किया जाना होगा।
जनपदी कार्यक्रम में अधिक युवा समानित हो।

(ii) समाजिक समाजिक होने वाली गतिविधियाँ/कार्यक्रम :—

जनपद द्वारा युवा प्रोत्साहन समिति द्वारा युवा प्रोत्साहन के लिए जनपद की समाजिक अभ्युक्त सुझाई गई गतिविधियों/कार्यक्रमों में से जनपद द्वारा युवा प्रोत्साहन के आधार पर चयनित गतिविधियों का अयोजन वर्ष भर के लिए जारी है। इनपद पंचायत की सामान्य सभा से वर्ष भर की मासिक बैठकों में जारी योजना, कलेण्डर तथा बजट का अनुमोदन कराना आवश्यक है। जनपद द्वारा युवा प्रोत्साहन समिति सुझाई गई गतिविधियों जैसे अन्य जनपदी का आयोजन कर सकती है, किंतु ऐसी गतिविधि का युवा प्रोत्साहन योजना के अनुरूप होना आवश्यक है। पूर्व अनुमोदित कार्य योजना में जनपद पंचायत कियान्वयन समिति वैठक के माध्यम से आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकती है। गतिविधियों/कार्यक्रमों का कियान्वयन जनपद पंचायत के संयोजन में युवा प्रोत्साहन के द्वारा होगा।

(अ) सारकृतिक गतिविधियों जैसे :—

1. खंड/उपखंड स्तरीय युवा सांस्कृतिक चेतना उत्सव का आयोजन (जिससे लोक संगीत/गायन/नृत्य/नाटक—एकांकी आदि स्पर्धाएं संपन्न हो)
2. ग्रामीण युवाओं के लिये गायन/नृत्य/नाटक से संबंधित प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।

(ब) क्षमता विकास कार्यक्रम जैसे :—

1. युवा मंडलों के प्रतिनिधियों में रचनात्मक नेतृत्व विकास हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।
2. किशोर वय की युवतियों हेतु जीवन कौशल शिक्षा कार्यशाला का

प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी में रवैचिक योगदान हेतु गतिविधियों के अधीन विभिन्न विद्यालयों के लिये परिशिक्षण कार्यशाला का आयोजन।

(iii) व्याख्यातक विद्यालयों व स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ जैसे :—

1. व्याख्यातक विद्यालयों का आयोजन।
2. व्याख्यातक विद्यार्थी का आयोजन।
3. व्याख्यातक विद्यालयों का विकास, साक्षर भारत कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, वीवाकरण, रवास्थ्य जागरूकता जैसी गतिविधियों में युवाओं के रवैचिक योगदान को प्रोत्साहित करने हेतु अभिप्रेरणा विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन।

(iv) एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ जैसे :—

1. युवाओं के योग सिखाने के लिये शिविरों कार्यशालाओं का आयोजन।
2. बौद्धीयों कवड़ी, खो-खो जैसे खेलों एवं एथलेटिक्स (दौड़, उड़ानी, चढ़ाना, छुट्ट, तैराकी आदि) स्पर्धाओं का आयोजन।
3. यानित युवा खिलाड़ियों के अभ्यास शिविर का आयोजन।

(v) अन्य गतिविधियाँ/कार्यक्रम :—

1. वाहन आग लगने या महामारी जैसे आपदा के नियंत्रण में विभिन्न समुदाय को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करने वाली सभी सेवी गतिविधियों का आयोजन।
 2. आननिक खेती/आधुनिक कृषि तकनीकों पर युवाओं के लिये परिशिक्षण कार्यशाला का आयोजन।
 3. रामाजिक कुरीतियों, नशा व अंधविश्वासों के विरोध में तथा स्वास्थ्य व पर्यावरण जागरूकता के लिये रैलियों का आयोजन।
- पैराफ्राम — बहुत सी गतिविधियाँ वन, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी, समाज कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, युवा कल्याण व खेलकूद जैसे विभागों के संसाधन सहयोग से भी आयोजित की जा सकती है।

12
196

१०. क्र / वित्तीय प्रमाणि प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र :—

जनपद कार्यपाली की भौतिक / वित्तीय प्रगति की जानकारी का संकलन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अपने जिले की संकलित संचालक, पंचायत सभा तक संचालक, पंचायत संचालनालय, रायपुर को भेजा जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित प्रपत्र में त्रैमासिक रूप से जिला पाकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रत्येक

जनपद कार्यपालन भारी, जून, सितम्बर एवं दिसम्बर की स्थिति में भेजा जायेगा।

जनपद के अलै में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा संचालक, जिला पंचायत को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

११. अक्षण एवं पर्यवेक्षण :—

जनपद पंचायत स्तर पर योजना का पृथक से लेखा संधारण किया जावेगा। जनपद पंचायतों का आडिट स्थानीय लेखा परीक्षण विभाग एवं विभागीय अकेशकों द्वारा किया जावेगा।

अन्य राक्षम प्राधिकारी भी लेखाओं का परीक्षण किया जा सकेगा। योजना के अंतर्गत कार्य एजेन्सी द्वारा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को सुसंगत जानकारी उपलब्ध करायेगी।

H3
192

पंजीयन प्रपत्र

स्वामी विवेकानन्द
युवा प्रोत्साहन योजना
// पंजीयन प्रपत्र //

फोटो

- क्र. जनपद पंचायत का नाम
ग्राम पंचायत का नाम
1. युवा का नाम
2. पिता का नाम
3. जाति
4. जन्म तिथि
5. पूर्ण पता
6. सम्पर्क न.
7. युवा मंडल का नाम यदि किसी से सम्बद्ध हो तो
8. शैक्षणिक योग्यता
9. क्षेत्र जिसमें कौशल विकास हेतु इच्छुक है
10. उपलब्धियों कोई हो तो
11. कोई उल्लेखनीय कार्य (विवरण संलग्न करें)

हस्ताक्षर

नाम:-
पता:-
मोनं:-
को पंजीकृत (पंजीयन कर्मांक)

श्री/ कु.
किया गया।
दिनांक

संयोजक/सह संयोजक के हस्ताक्षर

14.

त्रैमासिक प्रतिवेदन

स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना

त्रैमासिक प्रतिवेदन

जनपद पंचायत
जिला

(अ) पंजीयन की स्थिति

क्र.	विवरण	पंजीकृत युवाओं की संख्या				व्यय राशि
		आजा	अजाजा	अपिव	सामान्य	
1	इस त्रैमास पर्व					
2	इस त्रैमास में					
3	अब तक (मास)					

(ब) कार्यक्रमों/गतिविधियों का विवरण

क्र.	कार्यक्रम/गतिविधि	दिनांक व स्थल	लाभांवित संख्या				व्यय राशि
			आजा	अजाजा	अपिव	सामान्य	
	योग						

(स) आय-व्यय विवरण

क्र.	विवरण	आवंटित राशि	व्यय राशि	बचत राशि	विवरण
1	इस त्रैमास में				
2	अब तक				